रजिस्ट्री स० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

का.आ. 142(अ).—विमान वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) धारा 8 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, तत्कालीन नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन की तारीख 30 मार्च, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (ii) में का.आ. 186(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, उन चीजों के सिवाय जिन्हें किया गया है या जिनका लोप किया गया है, के संबंध में एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से जो उक्त अधिनियम की धारा 5 और उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निहित नियमों तथा तीसरी अनुसूची में परिभाषित सभी विमान वहन जो अन्तर्राष्ट्रीय वहन नहीं है पर निम्नलिखित अपवादों, अनुकलापों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :–

1. उक्त अधिनियम में तीसरी अनुसूची में :–

(क) शीर्ष के नीचे आने वाले कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों ''(धारा 4क देखें)'' के स्थान पर कोष्ठकों और शब्दों ''(विमान वहन जो अन्तरराष्ट्रीय वहन न हो, पर लागू)'' को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) नियम 1 में,

(i) उप–नियम (1) में, ''सभी के लिए लागू'' शब्द के बाद ''विमान वहन जो न हो'' शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाए;

(ii) उप–नियम (2) का लोप किया जाए;

(iii) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(3) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, विमान वहन जो अन्तर्राष्ट्रीय वहन न हो किसी ऐसे वहन से अभिप्रेत है जिस में पक्षकारों के करार के अनुसार प्रस्थान और गंतव्य दोनों स्थान भारत में स्थित हैं और भारत से बाहर विराम स्थान पर कोई सहमति नहीं है।''

(iv) उप–नियम (4) में, ''क्या इसकी सहमति दी गई है'' शब्दों से आरंभ होने वाले और ''उसी राज्य के राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाए;

(ग) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''2 ये नियम लागू नहीं होंगे–

(i) संघ की सशस्त्र सेना के प्रयोजन के लिए कोई वायुयान जो उनका है, या अनन्य रूप से लगाया गया है, में विमान वहन के लिए;

(ii) सरकार चाहे वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार हो, द्वारा किया गया है, विमान वहन के लिए;

(iii) डाक के वहन के लिए;

(iv) ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए लगाए गए व्यक्तियों के वायुयान द्वारा वहन के लिए;

(v) भारत सरकार के नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र या कोई क्लब जिसका मुख्य उद्देश्य उड़ान या ग्लाइडिंग में प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उनका है या उनके द्वारा प्रचालित है चाहे ऐसा वायुयान प्रशिक्षण या उससे अन्यथा प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के वहन में लगा है, वहन के लिए;

(vi) वायुयान से माल गिराए जाने के प्रयोजन के लिए कार्गो या उसमें लगे हुए व्यक्तियों के वहन के लिए;

(vii) वाहक के कर्मचारियों के वहन के लिए, जब वायुयान पर वाहक द्वारा उन्हें सौंपे गए किन्हीं कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए उनका वहन किया गया हो।''

(घ) नियम 3 में, उप–नियम (1), के खंड (ख) का लोप किया जाए;

(ङ) नियम 5 में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए।

(च) नियम 21 में, उप–नियम (1) और (2) में ''एक लाख विशेष आहरण अधिकार'' शब्दों के स्थान पर ''बीस लाख रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(छ) नियम 22 में,–

(i) उप–नियम (1) में, ''चार हजार एक सौ और पचास विशेष आहरण अधिकार'' शब्दों के स्थान पर ''अस्सी हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) उप–नियम (2) में ''एक हजार विशेष आहरण अधिकार'' शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(iii) उप–नियम (3) में ''सत्रह विशेष आहरण अधिकार'' शब्दों के स्थान पर ''तीन सौ पचास रुपये'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ज) नियम 23 का लोप किया जाए।

(झ) नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''नियम 25 के परन्तुक पर 24 का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 21 और 22 में निर्धारित इकाइयों की देनदारी की समीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति सूचकांक की लागत के आधार पर हर पांच वर्ष के अंतराल पर की जाए जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे।

(ण) नियम 33, 34, 46 और 50 का लोप किया जाए।

(त) अन्त की अनुबंध का लोप किया जाए।

[फा. सं. एवी. 11012/9/97–ए]

प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

S.O. 142 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) and in supersession of the Notification of the Government of India in the late Ministry of Tourism and Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 186(E), dated the 30th March, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provisions of Section 5 of that Act and the rules contained in the Third Schedule to that Act shall apply to all carriage by air not being international carriage by air as defined in the said Third Schedule, subject to the following exceptions, adaptations and modifications, namely :—

1. In the said Act, in the Third Schedule,—

(a) for the brackets, words, figure and letter "(see Section 4A)" occurring below the heading, the brackets and words "(As applicable to carriage by air, not being international carriage)" shall be substituted.

(b) in rule 1,—

(i) in sub-rule (1) after the word "apply to all" the words "carriage by air, not being" shall be inserted;

(ii) sub-rule (2) shall be omitted;

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely.—

"(3) For the purposes of these rules, 'carriage by air, not being international carriage' means any carriage in which according to the agreement of the parties, the place of departure and destination are both situated in India and there is no agreed stopping place outside India."

(iv) in sub-rule (4), the portion beginning with the words 'whether it had been agreed' and ending with words 'within the territory of the same State' shall be omitted;

(c) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. These rules shall not apply—

(i) to carriage by air in any aircraft belonging to, or exclusively employed for, the purposes of the armed forces of the Union;

(ii) to carriage by air, performed by the Government, whether Central or State;

(iii) to carriage of mails;

(iv) to carriage by air of persons performed for the purpose of training of such persons;

(v) to carriage by aircraft belonging to or operated by the Civil Aviation Training Centre of the Government of India or a Club, whose main purpose is to impart training in flying or gliding, whether such aircraft is engaged in carrying persons for the purposes of training or otherwise;

(vi) to carriage of cargo or persons performed for the purpose of dropping goods from an aircraft;

(vii) to carriage of employees of the carrier when they are carried for the purpose of performing any duties assigned to them by the carrier on the aircraft."

(d) in rule 3, in sub-rule (1), clause (b) shall be omitted;

(e) in rule 5, clause (b) shall be omitted.

(f) in rule 21, in sub-rules (1) and (2) for the words " one lakh Special Drawing Rights" the words "rupees twenty lakh" shall be substituted;

(g) in rule 22,—

(i) in sub-rule (1), for words "four thousand one hundred and fifty Special Drawing Rights" the words "rupees eighty thousand" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "one thousand Special Drawing Rights" the words "rupees twenty thousand" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3) for the words "seventeen Special Drawing Rights" the words "rupees three hundred fifty" shall be substituted;

(h) rule 23 shall be omitted;

(i) for rule 24, the following rule shall be substituted, namely :—

"24 without prejudice to the provisions of rule 25, the units of liability specified in rules 21 and 22 shall be reviewed by the Central Government at the interval of every five years based on cost of inflation index as notified by the Central Government."

(j) rules 33, 34, 46 and 50 shall be omitted.

(k) the Annexure occurring at the end shall be omitted.

[F. No. AV.11012/9/97-A]

PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.